भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs. 15000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

448674

::श्री::

पट्टा-पंजीयन

स्टाम्प = 15000 X 2 = 30000/-
सरचार्ज 30 प्रतिशत = 9000/-
योग = 39000/-

पट्टा संख्या 1823

दिनांक : 17.09.2020

निष्पादक / पट्टाधारक : **कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट, जयपुर जरिये सचिव श्री विशाल जेफ पुत्र श्री के.एल.मीना** उम्र 42 साल जाति मीना व्यवसाय व्यापार निवासी एम.80, जे.पी. फाटक के पास, महेश नगर, जयपुर (राज.)

Aadhar No.6036-0509-9714, Pan No. AABTK3574A, Mob No. 9785400987

लगातार 2

(सत्यवीर सिंह)
उपपंजीयक
नीमकाथाना

1234
10/9/2020

कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट जयपुर जरिये [illegible] विशाल जैन s/o श्री कृष्ण मीना नि० महेश नगर जयपुर।

15000x2 = 30000/-

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम [illegible] धारा [illegible]	
1. [illegible]	3000/-
2. [illegible]	6000/-
[illegible]	39000/-
[illegible]	

18/9/2020

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु. 15000
FIFTEEN THOUSAND RUPEES
Rs. 15000
पन्द्रह हजार रुपये
INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

44867

राजस्थान
नीमकाथाना

THE SUB REGISTRAR NEEM KA THANA

॥2॥

यह पट्टा विलेख वर्ष 2020 के माह सितम्बर के 17 (सतरहवें) दिन नगर पालिका नीमकाथाना प्रथम पक्ष जिन्हे इसके बाद नगर पालिका कहकर सम्बोधित किया गया हैं एवं **कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट, जयपुर जरिये सचिव श्री विशाल जेफ पुत्र श्री के.एल.मीना** जाति मीना व्यवसाय व्यापार निवासी एम.80, जे.पी. फाटक के पास, महेश नगर, जयपुर (राज.) जिनको इसके बाद लीज धारक द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है, द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके

लगातार 3

(सत्यवीर सिंह)

1234
18/9/2020

([illegible] 30000)/-

18/9/2020
JAI SINGH
Stamp Vander L.N. 28/03
Neem Ka Thana

THE SEAL OF THE SUB REGISTRAR SIKAR

उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होगें, इनके मध्य निष्पादित हुआ है। यह कि योजना **पैराफेरी क्षेत्र** राजस्व ग्राम **राणासर** के **खसरा संख्या 1072/555** में स्थित है। जिसका पट्टा **संस्थानिक (शैक्षणिक)** उपयोग हेतू **पट्टा संख्या 1823** जारी किया गया

लगातार 4

(सत्यवीर सिंह)
उपपंजीयक
नीमकाथाना

Presentation Endorsement

आज दिनांक 18 माह 09 सन् 2020 को 02:05 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री KLYANESHWAR MHADEV TRUST JAIPUR THROU
SACHIV VISHAL JEPH पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री K.L. MEENA
उम्र 42 वर्ष, जाति MEENA , व्यवसाय Business
निवासी House No.:na, Colony: M-80, J.P. PHATAK KE PASS, MAHESH NAGAR, JAIPUR, Area: M-80, J.P. PHATAK KE PASS, MAHESH NAGAR, JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001274002719

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
NEEM KA THANA

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002274001996
दिनांक	18-09-2020
पंजीयन शुल्क ₹	5365
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	32186
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	9656
कुल योग	47507

202001274002719

उप पंजीयक, NEEM KA THANA

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male)

Endorsement of Execution

THE SEAL OF THE SUB REGISTRAR * NEEM KA THANA *

है। पट्टा भूखण्ड की सीमा व नाप संलग्न नक्शे में अंकित है, उक्त पट्टा भूखण्ड का कुल **क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर** है, जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में पूर्ण रूप से वर्णित है, जिसका आकार विशेष रूप से संलग्न नक्शे में दर्शित है जिसे पूर्ण स्वामित्व

लगातार 5

(सत्यवीर सिंह)
उपपंजीयक
नीमकाथाना

अनु क्र.	पक्षकारी का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री KLYANESHWAR MHADEV TRUST JAIPUR THROU SACHIV VISHAL JEPH, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री K.L. MEENA, व्यवसाय Business जाति MEENA House No.:na, Colony: M-80, J.P. PHATAK KE PASS, MAHESH NAGAR, JAIPUR, Area: M-80, J.P. PHATAK KE PASS, MAHESH NAGAR, JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Presenter Age : 42 Signature :

ने लेखपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male) को यह सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 536420/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं ने रु 536420/- पूर्व में ———— से मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाही का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री KRISHAN GOPAL SAINI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MALIRAM SAINI जाति MALI Age: 53 Add: House No.:na, Colony: BAGOLI TEHSIL UDAIPURWATI, Area: BAGOLI TEHSIL UDAIPURWATI, City: UDAIPURWATI, Pin code: 333801, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री KAMLESH KUMAR, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री PURANMAL जाति MALI Age: 41 Add: House No.:na, Colony: MANPURA TEHSIL NEEM KA THANA, Area: MANPURA TEHSIL NEEM KA THANA, City: NEEM KA THANA, Pin code: 332713, District: SIKAR, State: RAJASTHAN			Signature

202001274002719

(उप पंजीयक, NEEM KA THANA)

उपपंजीयक नीमकाथाना

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male)

||5||

संबंधी स्वत्वो सहित किन्तु तमाम व प्रत्येक प्रकार के अपवादों, संरक्षण,

प्रतिबंन्धो, बन्धनो और शर्तो व करारो के अधीन पट्टेदार द्वितीय पक्ष **कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट, जयपुर जरिये सचिव श्री विशाल जेफ पुत्र श्री के.एल.**

लगातार 6

(सत्यवीर सिंह)
उपपंजीयक
नीमकाथाना

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 3362500 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 32186 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 5365, सरचार्ज राशि 9656 कुल रु 47207 रसीद संख्या 202002274001995 दिनांक 18-09-2020 में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रु 32186 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(सत्यवीर सिंह)
उप पंजीयक
नीमकाथाना

202001274002719

उप पंजीयक, NEEM KA THANA

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (In favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 18/09/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 487 में
पृष्ठ संख्या 133 क्रम संख्या 202003274101964 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 632 के
पृष्ठ संख्या 164 से 172 पर चस्पा किया गया।

(सत्यवीर सिंह)
उप पंजीयक
नीमकाथाना

202001274002719

उप पंजीयक, NEEM KA THANA

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (In favour of male)

पट्टा क्रमांक:- 1823

दिनांक: 17/09/2020

राजस्थान नगरीय क्षेत्र(कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन
के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के
नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह पट्टा विलेख आज वर्ष 2020 के माह **सितम्बर** के 17 वें(सत्रहवें) दिन नगरपालिका नीमकाथाना (जिन्हें इसके बाद नगरपालिका नीमकाथाना कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं **कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट, जयपुर, जरिये सचिव श्री विशाल जैफ पुत्र श्री के.एल. मीना जाति मीना, व्यवसाय** [illegible] **एम. 80, जे. पी. फाटक के पास, महेश नगर, जयपुर, (राज.)** (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होगें) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक(पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज मे नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना **पैराफेरी क्षेत्र** राजस्व ग्राम **राणासर** के खसरा संख्या **1072/565 क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर** में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात:-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम(1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये **23920/– तैबीस हजार नौ सौ बीस रू0 मात्र** पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक वर्षीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि:– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **संस्थानिक (शैक्षणिक)** योजना, जिसके लिए नगरनिकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगरनिकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जावे, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी: परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. **उक्त नियमों के अधीन किसी** व्यक्ति के प्रति पत्तादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, अन्तरित/बाह्य [illegible]

शिथिल समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नही होगा।

10 इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11 भूखण्ड पर निर्मित भवन का नियमितिकरण नही किया गया है, केवल भूखण्ड के स्वामित्व हेतु पट्टा जारी किया गया है।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : नीमकाथाना
राजस्व ग्राम : राणासर
खसरा संख्या : 1072 / 555
योजना का नाम : पैराफेरी क्षेत्र

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग मीटर/मीटर 2500
(पच्चीस सौ वर्गमीटर)

पूर्व संलग्न नक्शे पश्चिम संलग्न नक्शे उत्तर संलग्न नक्शे अनुसार दक्षिण संलग्न नक्शे के अनुसार प्लाट संख्या संलग्न नक्शे अनुसार है। मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरपालिका की ओर से
आज सन् 2020 के माह सितम्बर के 17 वें दिन श्री सरिता दीवान व श्री सूर्यकांत शर्मा ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये-

Sarita Diwan

अध्यक्ष
नगर पालिका नीमकाथाना

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नीमकाथाना

साक्षी :-

1. नाम श्री अभिषेक सैनी
पुत्र श्री रतनलाल सैनी
व्यवसाय कनिष्ठ लिपिक, न०पा० नीमकाथाना
निवास स्थान नगरपालिका नीमकाथाना

साक्षी

2. नाम श्री दिनेश कुमार सैनी
पुत्र श्री स्व. श्री भगवान सहाय सैनी
व्यवसाय कनिष्ठ लिपिक न०पा० नीमकाथाना
निवास स्थान नगरपालिका नीमकाथाना

साक्षी

आज सन् 2020 के माह सितम्बर के 17 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त ठ कल्याणेश्वर महादेव ट्रस्ट, जयपुर, जरिये सचिव श्री विशाल जैफ पुत्र श्री के.एल. मीना लीजधारक द्वारा कार्यालय न०पा० नीमकाथाना में हस्ताक्षर किये गये।

लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम कृष्ण गोपाल पुत्र माली राम सैनी
व्यवसाय कृषि
निवास स्थान मु.पो. बालोदी - उदयपुरवाटी

साक्षी

2. नाम रतन लाल शर्मा पुत्र [illegible]
व्यवसाय नौकरी
[illegible] उदयपुरवाटी

साक्षी